ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.18, NO.1, JAN-JUNE,2023 /71

ग्रामीण कार्यशील महिलाऐं: पारिवारिक एवं वैवाहिक सामंजस्य

*बाल गोविन्द मौर्य एवं **प्रो0 मनोज कुमार मिश्रा
*शोध छात्र–समाजशास्त्र एवं **शोध पर्यवेक्षक
गनपत सहाय पी0 जी0 कालेज, सुल्तानपुर
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय समाज परम्परागत रूप से पुरुष प्रधान रहा है। समाज में महिलाओं की प्रस्थिति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से दयनीय रही है। महिलाऐं जीवन के प्रत्येक स्तर पर संघर्षरत रही है। शिक्षा के अधिकार से वंचित होते हुए भी पारिवारिक संस्कार का बोध उन्हें अपने पथ से कभी विपथ नहीं होने दिया। भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ पुरुष सत्तात्मक समाज भी है जहाँ महिलाऐं घर की चाहरदीवारी में जीवन निर्वहन करती रही हैं। जातीय समीकरण में भी उच्च जाति की महिलाओं की अपेक्षा निम्न जातीय महिलाऐं अधिक स्वतंत्र रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक विकास के परिणाम स्वरूप भारतीय महिलाऐं भी आर्थिक क्रिया–कलापों में प्रतिभाग करने लगी। शिक्षा के अधिकार के साथ–साथ आरक्षण प्राप्त होने से विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है।

कार्यशील महिलाओं की स्थिति मे भी अनेक विविधताऐं विद्यमान है। ग्रामीण सामाजिक संरचना मे विभिन्न जाति, वर्ग, पारिवारिक परिस्थिति जैसे आधारों पर महिलाऐं नौकरी के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया–कलापों में अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर रही हैं। जटिल भारतीय संरचना में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति एवं भाषा के पोषक विद्यमान हैं। जीवन के तौर–तरीके, रहन–सहन, कार्य–व्यवहार आदि की भिन्नताओं से परिपूर्ण है। महिलाओं में समाज के अनुरूप विकास के प्रतिफलों से सामंजस्य स्थापित करने की ओर उन्मुखता उनके पारिवारिक एवं वैवाहिक संरचना पर निर्भर करती है। महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में परिवार के साथ–साथ वैवाहिक सम्बन्धों की प्रस्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।[1]

प्रत्येक समाज मे किसी पुरूष अथवा महिला की सामाजिक प्रस्थिति का आशय उन दशाओं से निर्धारित होता है जिसे वह व्यक्ति अथवा महिला उपभोग में लाती है। व्यक्ति विशेष की सामाजिक प्रस्थिति सम्पूर्ण समाज में उसकी विशेष महत्वपूर्ण स्थिति की ओर संकेत करती है।[2] वर्तमान औद्योगिक समाज की विशिष्टताओं के निर्धारक तत्वों के साथ–साथ उसके जाति, वंश और वर्ण पर आधारित होता है।[3] इस देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जिसमें कार्यशील महिलाओं की संख्या विचारणीय है। इन महिलाओं के विकास से ही ग्रामीण समाज के विकास के साथ भारतीय समाज का विकास सम्भव है, महिलाऐं परिवार की आधारशिला होती हैं। सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सद्प्रयासों एवं प्रयत्नों से सम्भव है। कम विकास के कारण ही समाज की महिलाओं को उपेक्षा एवं तिरस्कार का दंश झेलना पड़ता है। परिवर्तन के इस दौर में विभिन्न परिवेशों एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दशाओं में महिलाऐं भी प्रभावित हुई हैं।

ग्रामीण भारतीय समाज में माता–पिता अथवा संरक्षक की आय घर की महिलाओं की आवश्यकता पूर्ति का साधन होती हैं। समृद्ध परिवारों की महिलाओं का जीवन स्तर निश्चित रूप से समाज की अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक बेहतर होती है। किन्तु निम्न आय वर्ग के परिवारों को

अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कार्य निष्पादन के सुव्यवस्थित प्रतिमानों के अन्तर्गत मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक कुशलता के साथ कार्य करता है। परिवार रूपी संस्था विशेष रूप से भारतीय समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व, व्यवहार, आकांक्षाओं एवं अभिवृत्तियों पर अन्य संस्थाओं की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि यह संस्था व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध रखती है, सामाजिक नियंत्रण एवं मनुष्य के समाजीकरण में उसके जन्मकाल से ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

परिवार सामाजिक संरचना की मौलिक इकाई है, कृषक समानों में सामान्यतः परिवार संयुक्त प्रकृति के थे परन्तु सामाजिक संरचना में परिवर्तन के साथ ही परिवार संरचना में भी परिवर्तन हुआ। वर्तमान समाज की इकाई के रूप में परिवार, आधुनिक, नगरीकरण, औद्योगिक तथा वैश्विक शक्ति के प्रभाव से परिवर्तित हुआ है। महिलाओं की रोजगार और निर्माण में बढ़ती क्षमता को स्पष्ट करते हुए वीना मजूमदार ने लिखा है कि महिलाऐं लघु परिवार प्रतिमान अपनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जिससे उनकी प्रस्थिति में भी सुधार होता है। व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति में सुधार की आकांक्षा से उसके व्यवसायिक गतिशीलता पर भी प्रभाव पड़ता है।[4] विकास की प्रक्रिया की गतिशीलता में कहीं न कहीं परिवारों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।

विवाह परम्परागत समाजों में व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व रहा है। हिन्दुओं में विवाह रूपी संस्था का सामाजिक संरचना में मुख्य स्थान रहा है। विवाह बन्धन द्वारा न केवल व्यक्ति के दाम्पत्य सम्बन्धों की स्थापना होती है बल्कि इसके माध्यम से पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भूमिका के क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वैदिक संहिता में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र तथा धार्मिक दृष्टि से अपूर्ण कहा गया है, जिसे संस्कारों में भाग लेने हेतु योग्य नहीं माना गया।[5] हिन्दू विवाह को एक संस्कार कहा गया है, एक हिन्दू अपने जीवन में विभिन्न संस्कारों को सम्पन्न करता हुआ आगे की ओर अग्रसर होता है तथा अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। हिन्दुओं में विवाह एक आवश्यक संस्कार तथा कर्त्तव्य माना गया है।[6]

विवाह का आशय एक ऐसी सामाजिक संस्था से है जो स्त्री पुरुष को कुछ विशेष नियम और कानून के अन्तर्गत यौन सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति प्रदान करती है और इनके विभिन्न अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है। वेस्टरमार्क ने विवाह के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ''विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक अधिक महिलाओं के साथ जुड़ने वाला सम्बन्ध है जो ऐसी प्रथा अथवा कानून द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसमें दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाली सन्तानों के अधिकार एवं कर्त्तव्य समाहित होते हैं।[7] विवाह के द्वारा ही स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व विश्वास, विकास, वंश का उत्थान तथा कुटुम्ब के संयोजन विवाह के द्वारा ही सम्भव है। विवाह ही स्त्री और पुरुष की पूर्णता तथा उनकी सामाजिक एवं आध्यात्मिक अभिव्यंजना का मुख्य आधार भी है।

पुरुष और स्त्री से मिलकर परिवार का निर्माण होता है। महिलाओं के बिना हम दुनिया की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के दृष्टिगत कार्यों से मूल आशय मात्र उन कार्यों से है जिनके द्वारा महिलाओं को आर्थिक लाभ होता है। जिससे वह आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनती है। सामाजिक व्यवस्था एवं रीति–रिवाजों द्वारा भी महिलाओं के लिए कई कार्य निश्चित किये हैं। परन्तु दिखाई देने वाले कार्य ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो माह कार्य का भुगतान होता है, आर्थिक सशक्तिकरण पुरुष समाज के पास होता है, वहीं महिलाओं को आय का खर्च करने का अधिकार सीमित होता है।[8]

सारणी संख्या–1.0
उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप

क्र.सं.	परिवार के स्वरूप की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	संयुक्त	85	28.33
2.	एकांकी	136	45.33
3.	मिश्रित	79	26.33
	योग	**300.00**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–1.0 के अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि आपके परिवार का स्वरूप कैसा है? के क्रम में 28.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बताया कि वह संयुक्त परिवार में निवास करती है एवं 45.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ एकाकी परिवार या सीमित परिवार का नेतृत्व करती है, जबकि 26.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ मिश्रित परिवारों में निवास करती हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण एकाकी परिवारों का चलन बढ़ा है, संयुक्त परिवार प्रणाली के कमजोर होने के पीछे कहीं न कहीं बढ़ती हुई आर्थिक महत्वाकांक्षा रही है।

सारणी संख्या–2.0
संयुक्त परिवार की उपयुक्तता के प्रति विचार

क्र.सं.	संयुक्त परिवार की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामान्य	45.00	15.00
2.	उपयोगी	125.00	41.67
3.	अनुपयोगी	130.00	43.33
	योग	**300.00**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–2.0 के अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि आपके परिवार की उपयुक्तता की स्थिति कैसी है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है के क्रम में 45.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने संयुक्त परिवार को सामान्य मानते है एवं 41.67 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ संयुक्त परिवार को आज भी उपयोगी मानती हैं जबकि 43.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ आज के आधुनिक आर्थिक परिवेश में संयुक्त परिवार का सामान्य मानती हैं।

अतः संयुक्त परिवार की वर्तमान स्थिति परिस्थिति के संदर्भ में सम्पूर्ण 300 उत्तरदात्रियों में से 41.67 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने उपयोगी माना है। कहीं न कहीं महिलाओं की कार्यशीलता में वृद्धि संयुक्त परिवार में विघटन के लिए उत्तरदायी है।

सारणी संख्या–3.0
उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति

क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विवाहित	180	60.00
2.	अविवाहित	90	30.0
3.	तलाकशुदा	18	6.00
4.	विधवा	12	4.00
	योग	**300.00**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–3.0 के अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से वैवाहिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया गया है? के क्रम में कुल 60.00 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ विवाहित है। 30.0 प्रतिशत अविवाहित, 6.0 प्रतिशत तलाकशुदा तथा 4.00 प्रतिशत विधवा हैं। इस संदर्भ में विवाहित सदस्यों की अधिकता भारतीय मान्यताओं के अनुरूप विवाह को अनिवार्य माना गया है।

सारणी संख्या–4.0
कार्यशील महिलाओं का पारिवारिक सामंजस्य

क्र.सं.	पारिवारिक सामंजस्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	190	63.33
2.	नहीं	60	20.00
3.	कभी नहीं	50	16.67
	योग	**300.00**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–4.0 के अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से पारिवारिक सामंजस्य के संदर्भ में जानने का प्रयास किया गया है? के क्रम में कुल 63.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पारिवारिक सामंजस्य को स्वीकार करती हैं तथा 20.0 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ पारिवारिक सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता है, जबकि 16.67 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ स्वीकार करती हैं कि कभी–कभी पारिवारिक सामंजस्य स्थापित हो पाता है।

सारणी संख्या–5.0
कार्यशीलता के प्रति विरोध की स्थिति

क्र.सं.	विरोध की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	130	43.33
2.	नहीं	110	36.67
3.	कह नहीं सकते	60	20.00
	योग	**300.00**	**100.00**

उपरोक्त सारणी संख्या–5.0 के अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि कार्यशीलता के प्रति पारिवारिक विरोध कैसा था? के क्रम में 43.33 प्रतिशत उत्तरदाता हाँ में स्वीकार किया है एवं 36.67 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ ऐसा नहीं मानती है, जबकि 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ नहीं कह सके।

संदर्भ–सूची

1. Shah. A.M.; The Household Dimension of the family in India, University of California Press, Berkley-1974
2. Kapoor, Pramila; Women in th House, in Kamala Bhasin(ed.) Position of women in India, Bombay, p- 17
3. Weper, Max; The Theory of Social and Economic Organization in tal coft Parsons (ed.) The Free Press of Glence New York. p. 380
4. Majumdar, vina: From Research to Policy, Rural Women in India, Studies in Family Planning, p- 357
5. Altekar, A.S.; The Position of women in Hindu Civilization, p- 3
6. कपाड़िया, के0एम0ः भारत में विवाह एवं परिवार, मोतीलाल बनारसीदास, चौखम्भा प्रेस, वाराणसी, पृ. 168
7. वेस्टर मार्कः द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, पृ. 26
8. परमार, शुभ्राः नारीवाद सिद्धान्त और व्यवहार, ओरिएण्ट ब्लैक स्वान, नई दिल्ली, पृ. 179